



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012020-215538
CG-DL-E-18012020-215538

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 15, 2020/पौष 25, 1941

No. 26]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 15, 2020/PAUSHA 25, 1941

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2020

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2020

सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.054.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 2 के उप-विनियम (1) में, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(खक) “कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाता” से बोर्ड द्वारा विनियम 39 के अधीन रखा गया और प्रचालित कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाता अभिप्रेत है;”।

3. मूल विनियमों के विनियम 10 के उप-विनियम (2) के खड (थ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(थ) अदावाकृत लाभांशों और अवितरित आगमों का रजिस्टर; और” ।

4. मूल विनियमों के विनियम 39 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“39. कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाता

(1) बोर्ड भारत के लोक खाते में एक खाता रखेगा और उसका प्रचालन करेगा जिसे कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाता कहा जाएगा:

परन्तु जब तक कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते का प्रचालन भारत के लोक खाते के भागस्वरूप नहीं किया जाता है, तब तक बोर्ड इस विनियम के प्रयोजनार्थ किसी अनुसूचित बैंक में एक पृथक् बैंक खाता खोलेगा।

(2) परिसमापक, इससे पूर्व कि वह धारा 59 की उपधारा (7) के अधीन कोई आवेदन प्रस्तुत करे, किसी स्वैच्छिक समापन कार्यवाही में अदावाकृत लाभांशों, यदि कोई है, और अवितरित आगमों, यदि कोई हैं, की रकम, जमा करने की तारीख तक उस पर अर्जित किसी आय सहित, कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में जमा करेगा।

(3) ऐसा परिसमापक, जो भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2020 के प्रारंभ होने की तारीख को किसी स्वैच्छिक समापन कार्यवाही में अदावाकृत लाभांशों या अवितरित आगमों की कोई रकम धारित करता है, उसे ऐसे प्रारंभ की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर उस पर जमा किए जाने की तारीख तक अर्जित आय सहित जमा करेगा ।

(4) ऐसा परिसमापक, जो विनियम के अधीन कोई रकम कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में जमा करने में असफल रहता है, उसे जमा करने की नियत तारीख से जमा करने की तारीख तक उस पर बारह प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज सहित जमा करेगा ।

(5) परिसमापक, उस प्राधिकारी को, जिसके पास कारपोरेट ऋणी रजिस्ट्रीकृत है और बोर्ड को इस विनियम के अधीन कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में रकम जमा करने का साक्ष्य और कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में जमा की गई रकम की प्रकृति और अदावाकृत लाभांश या अवितरित आगम प्राप्त करने के हकदार हितधारकों के नाम और उनके अंतिम ज्ञात पते उपवर्णित करते हुए प्ररूप छ में एक विवरण प्रस्तुत करेगा ।

(6) परिसमापक, इस विनियम के अधीन कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में जमा की गई किसी रकम के लिए बोर्ड से रसीद लेने का हकदार होगा ।

(7) ऐसा हितधारक, जो कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में जमा की गई किसी रकम का हकदार होने का दावा करता है, रकम की निकासी के लिए किसी आदेश हेतु बोर्ड को प्ररूप ज में आवेदन कर सकेगा:

परन्तु यदि हितधारक से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में जमा की गई किसी रकम का हकदार होने का दावा करता है तो वह बोर्ड को संतुष्ट करने के लिए कि वह इस प्रकार हकदार है, साक्ष्य प्रस्तुत करेगा ।

(8) बोर्ड, यदि संतुष्ट हो जाता है कि हितधारक या उप-विनियम (7) के अधीन निर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में से किसी रकम की निकासी का हकदार है तो वह उस हितधारक या उस अन्य व्यक्ति के पक्ष में उसके लिए आदेश कर सकेगा ।

(9) बोर्ड, इस विनियम के अधीन कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में जमा की गई रकम और उसमें से निकाली गई रकम की कारपोरेट ऋणी-वार लेखा-बही रखेगा ।

(10) बोर्ड, कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते के अभिरक्षक के रूप में बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के स्तर के

किसी अधिकारी को नामनिर्दिष्ट करेगा और उसके अनुमोदन के बिना किसी भी आगम की निकासी नहीं की जाएगी।

(11) बोर्ड, कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते का समुचित लेखा रखेगा और उसकी प्रतिवर्ष लेखापरीक्षा कराएगा।

(12) उप-विनियम (11) में निर्दिष्ट कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते के लेखा विवरण सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट शासी बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी और उसे केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा।

(13) इस विनियम के अनुसरण में कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में जमा की गई ऐसी कोई रकम, जो कारपोरेट ऋणी के विघटन के आदेश की तारीख से पन्द्रह वर्ष की अवधि तक अदावाकृत या अवितरित बनी रहती है, और कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में प्राप्त या अर्जित आय या ब्याज की कोई रकम भारत की संचित निधि में अंतरित कर दी जाएगी।”

5. मूल विनियमों की अनुसूची I में, प्ररूप च के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“प्ररूप छ

अदावाकृत लाभांशों और/या अवितरित आगमों का निक्षेप

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया)]

[विनियमन, 2017 के विनियम 39(5) के अधीन]

क. स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया के ब्यौरे

क्रम सं.	विवरण	विशिष्टियां
(1)	(2)	(3)
1	कारपोरेट ऋणी का नाम	
2	कारपोरेट ऋणी का पहचान संख्यांक(सी.आई.एन./एल.एल.पी.आई.एन.)	
3	स्वैच्छिक समापन प्रारंभ होने की तारीख	
4	कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में जमा करने की तारीख	
5	कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में जमा की गई रकम (रु.)	
6	बैंक खाता, जिसमें से कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में रकम अंतरित की गई है – क. खाता सं. : ख. बैंक का नाम : ग. आई.एफ.एस.सी. : घ. एम.आई.सी.आर. : ङ. बैंक की शाखा का पता :	
7	कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में जमा की गई रकम के ब्यौरे (रु.) क. अदावाकृत लाभांश ख. अवितरित आगम ग. जमा करने की नियत तारीख तक अर्जित आय घ. नियत तारीख से परे प्रतिधारित रकम पर बारह प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज(कृपया ब्याज की रकम की संगणना दर्शित करें) कुल	

ग. स्वैच्छिक समापन खाते में किए गए निक्षेप के ब्यौरे

मैंने (परिसमापक का नाम) कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में को पावती सं..... द्वारा रुपए (..... रुपए केवल) जमा किए हैं।

मैं (परिसमापक का नाम) यह प्रमाणित करता हूँ कि इस प्ररूप में दिए गए ब्यौरे मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और ठीक हैं तथा इसमें किसी भी तात्विक सामग्री को छिपाया नहीं गया है।

(हस्ताक्षर)

परिसमापक का नाम

आई.पी.रजिस्ट्रीकरण सं.:

बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत पता:

बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत ईमेल आई.डी.:

तारीख:

स्थान:

प्ररूप ज

कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में से निकासी

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया)

विनियमन, 2017 के विनियम 39(7) के अधीन]

क्रम सं.	विवरण	विशिष्टियां
(1)	(2)	(3)
1	कारपोरेट ऋणी का नाम	
2	कारपोरेट ऋणी का पहचान संख्यांक(सी.आई.एन./एल.एल.पी.आई.एन.)	
3	स्वैच्छिक समापन प्रारंभ होने की तारीख	
4	विघटन आदेश की तारीख	
5	कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में जमा करने की तारीख	
6	निकासी की ईप्सा करने वाले हितधारक का नाम	
7	हितधारक का पहचान संख्यांक क. पैन ख. सी.आई.एन./ एल.एल.पी.आई.एन./ डी.आई.एन. ग. आधार सं.	
8	हितधारक का पता और ईमेल पता	
9	परिसमापक द्वारा स्वीकृत हितधारक के दावे की रकम	
10	परिसमापक द्वारा कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में हितधारक के नाम में जमा की गई अदावाकृत लाभांश/अवितरित आगम की रकम	
11	अदावाकृत लाभांश/अवितरित आगम की वह रकम रकम जिसे हितधारक द्वारा कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में से निकालने की ईप्सा की गई है	
12	बैंक खाता, जिसमें कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में से रकम अंतरित की जानी है, यदि निकासी का अनुमोदन किया जाता है क. खाता सं.: ख. बैंक का नाम : ग. आई.एफ.एस.सी. : घ. एम.आई.सी.आर.: ड. बैंक की शाखा का पता:	
13.	स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया के दौरान लाभांश या आगम न लेने के कारण	
14.	निकासी के लिए आवेदन करने में कोई विधिक अक्षमता?(हां/नहीं) यदि हां, तो ब्यौरा दें।	

घोषणा

मैं (हितधारक का नाम) वर्तमान पता....(पता अंतःस्थापित करें) यह घोषणा और कथन करता हूँ:

1. मैं, कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में से, जैसा कि ऊपर प्रस्तुत किया गया है,रुपए (..... रुपए केवल) की राशि प्राप्त करने का हकदार हूँ।

2. उक्त राशि या उसके किसी भाग की बाबत, न तो मैंने और न ही मेरी जानकारी या विश्वास के अनुसार मेरे आदेश से किसी अन्य व्यक्ति ने मेरे उपयोग के लिए, निम्नलिखित के सिवाय, किसी रीति में कुछ भी तुष्टिकरण या प्रतिभूति प्राप्त की है:.....

3. यदि बोर्ड यह पाता है कि मैं यह रकम प्राप्त करने का हकदार नहीं हूँ तो मैं बोर्ड द्वारा यथा-विनिश्चित संपूर्ण रकम ब्याज सहित लौटाने का वचन देता हूँ।

4. यदि मेरा दावा किसी भी समय मिथ्या पाया जाता है तो मैं बोर्ड को समुचित विधिक कार्रवाई आरंभ करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ।

तारीख:

स्थान:

(हितधारक के हस्ताक्षर)

सत्यापन

मैं (नाम) इसके ऊपर हितधारक, यह सत्यापित करता हूँ कि इस प्ररूप की अंतर्वस्तु मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और ठीक है तथा इसमें किसी भी तात्विक तथ्य को छिपाया नहीं गया है।
.....20.. को सत्यापित।

(हितधारक के हस्ताक्षर)

[टिप्पण: कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में, घोषणा और सत्यापन निदेशक/प्रबन्धक/सचिव/ डेजीगनेरेट डार्टनर द्वारा और अन्य इकाइयों की दशा में, इकाई द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा]।

6. मूल विनियमों की अनुसूची II में, -

(क) 'वितरित राशि का रजिस्टर' के अधीन, 'निर्देश' के नीचे, क्रम संख्याक 4 में "भारत के सार्वजनिक खाते" शब्दों के स्थान पर "कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) "अदावाकृत लाभांशों और जमा की गई अवितरित आस्तियों का रजिस्टर" में "आस्तियों" शब्द के स्थान पर "आगमों" शब्द रखा जाएगा।

डॉ. नवरंग सैनी, पूर्णकालिक सदस्य

[विज्ञापन -III/4/असा./412/19]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 130, तारीख 31 मार्च, 2017 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.010, तारीख 31 मार्च, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें तत्पश्चात् भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 12, तारीख 15 जनवरी, 2019 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.039, तारीख 15 जनवरी, 2019 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया)(संशोधन) विनियम, 2019 द्वारा संशोधन किया गया है।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2020

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2020

No. IBBI/2019-20/GN/REG054.—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017 (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 2, in sub-regulation (1), after clause (b), the following clause shall be inserted, namely: -

‘(ba) “Corporate Voluntary Liquidation Account” means the Corporate Voluntary Liquidation Account operated and maintained by the Board under regulation 39;’.

3. In the principal regulations, in regulation 10, in sub-regulation (2), for clause (q), the following clause shall be substituted, namely:-

“(q) Register of unclaimed dividends and undistributed proceeds; and”

4. In the principal regulations, for regulation 39, the following regulation shall be substituted, namely: -

“39. Corporate Voluntary Liquidation Account.

(1) The Board shall operate and maintain an Account to be called the Corporate Voluntary Liquidation Account in the Public Accounts of India:

Provided that until the Corporate Voluntary Liquidation Account is operated as part of the Public Accounts of India, the Board shall open a separate bank account with a Scheduled bank for the purposes of this regulation.

(2) A liquidator shall deposit the amount of unclaimed dividends, if any, and undistributed proceeds, if any, in a liquidation process along with any income earned thereon till the date of deposit, into the Corporate Voluntary Liquidation Account before he submits an application under sub-section (7) of section 59.

(3) A liquidator, who holds any amount of unclaimed dividends or undistributed proceeds in a liquidation process on the date of commencement of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2020, shall deposit the same within fifteen days of the date of such commencement, along with any income earned thereon till the date of deposit.

(4) A liquidator, who fails to deposit any amount into the Corporate Voluntary Liquidation Account under this regulation, shall deposit the same along with interest thereon at the rate of twelve percent per annum from the due date of deposit till the date of deposit.

(5) A liquidator shall submit to the authority with which the corporate person is registered and the Board, the evidence of deposit of the amount into the Corporate Voluntary Liquidation Account under this regulation, and a statement in Form-G setting forth the nature of the amount deposited into the Corporate Voluntary Liquidation Account, and the names and last known addresses of the stakeholders entitled to receive the unclaimed dividends or undistributed proceeds.

(6) The liquidator shall be entitled to a receipt from the Board for any amount deposited into the Corporate Voluntary Liquidation Account under this regulation.

(7) A stakeholder, who claims to be entitled to any amount deposited into the Corporate Voluntary Liquidation Account, may apply to the Board in Form-H for an order for withdrawal of the amount:

Provided that if any other person other than the stakeholder claims to be entitled to any amount deposited to the Corporate Voluntary Liquidation Account, he shall submit evidence to satisfy the Board that he is so entitled.

(8) The Board may, if satisfied that the stakeholder or any other person referred to under sub-regulation (7) is entitled to withdrawal of any amount from the Corporate Voluntary Liquidation Account, make an order for the same in favour of that stakeholder or that other person.

(9) The Board shall maintain a corporate person-wise ledger of the amount deposited into and the amount withdrawn from the Corporate Voluntary Liquidation Account under this regulation.

(10) The Board shall nominate an officer of the level of Executive Director of the Board as the custodian of the Corporate Voluntary Liquidation Account and no proceeds shall be withdrawn without his approval.

(11) The Board shall maintain proper accounts of the Corporate Voluntary Liquidation Account and get the same audited annually.

(12) The audit report along with the statement of accounts of the Corporate Voluntary Liquidation Account referred to in sub-regulation (11) shall be placed before the Governing Board and shall be forwarded to the Central Government.

(13) Any amount deposited into the Corporate Voluntary Liquidation Account in pursuance of this regulation, which remains unclaimed or undistributed for a period of fifteen years from the date of order of dissolution of the corporate person and any amount of income or interest received or earned in the Corporate Voluntary Liquidation Account shall be transferred to the Consolidated Fund of India.”.

5. In the principal regulations, in Schedule I, after Form F, the following forms shall be inserted, namely:—

“FORM-G

Deposit of Unclaimed Dividends and/or Undistributed Proceeds

[Under Regulation 39(5) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017]

A. Details of Voluntary Liquidation Process

Sl. No.	Description	Particulars
(1)	(2)	(3)
1	Name of the Corporate Person	
2	Identification Number of Corporate Person (CIN/LLPIN)	
3	Voluntary Liquidation Commencement Date	
4	Date of Deposit into the Corporate Voluntary Liquidation Account	
5	Amount deposited into the Corporate Voluntary Liquidation Account (Rs.)	
6	Bank Account from which the amount is transferred to Corporate Voluntary Liquidation Account a. Account No: b. Name of Bank: c. IFSC: d. MICR: e. Address of Branch of the Bank:	
7	Details of the Amount (Rs.) deposited into Corporate Voluntary Liquidation Account a. Unclaimed dividends b. Undistributed proceeds c. Income earned till the due date of deposit d. Interest at the rate of twelve per cent on the amount retained beyond due date (Please show computation of interest amount) Total	

B. Details of Stakeholders entitled to Unclaimed Dividends or Undistributed Proceeds

Sl. No.	Name of stakeholder entitled to receive unclaimed dividends or undistributed proceeds	Address, phone number and email address of the stakeholder	Identification Number of the stakeholder (PAN, CIN/LLPIN/DIN, Aadhaar No.) (Please attach Identification proof.)	Amount due to the stakeholder (Rs.)	Nature of Amount due	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						

C. Details of Deposit made into the Corporate Voluntary Liquidation Account

I (Name of Liquidator) have deposited Rs..... (Rupeesonly) into the Corporate Voluntary Liquidation Account on vide acknowledgment no.. dated

I (Name of Liquidator) hereby certify that the details provided in this Form are true and correct to the best of my knowledge and belief, and nothing material has been concealed.

Date:.....
Place:.....

(Signature)
Name of the Liquidator
IP Registration No:
Address as registered with the Board:
Email id as registered with the Board:

FORM-H

Withdrawal from Corporate Voluntary Liquidation Account

[Under Regulation 39(7) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017]

Sl. No.	Description	Particulars
(1)	(2)	(3)
1	Name of the Corporate Person	
2	Identification Number of Corporate Person (CIN/LLPIN)	
3	Voluntary Liquidation Commencement Date	
4	Date of Dissolution Order	
5	Date of Deposit into the Corporate Voluntary Liquidation Account	
6	Name of the Stakeholder seeking withdrawal	
7	Identification Number of the Stakeholder a. PAN b. CIN/LLPIN/DIN c. Aadhaar No.	
8	Address and Email Address of Stakeholder	
9	Amount of Claim of the Stakeholder, admitted by the Liquidator	
10	Amount of unclaimed dividends / undistributed proceeds deposited by the Liquidator in the Corporate Voluntary Liquidation Account against the stakeholder	
11	Amount of unclaimed dividends / undistributed proceeds the Stakeholder seeks to withdraw from the Corporate Voluntary Liquidation Account	
12	Bank Account to which the amount is to be transferred from the Corporate Voluntary Liquidation Account, if withdrawal is approved (a) Account No.: (b) Name of Bank: (c) IFSC: (d) MICR: (e) Address of Branch of the Bank:	
13	Reasons for not taking dividend or proceeds during the Voluntary Liquidation Process	
14	Any legal disability in applying for withdrawal? (Yes / No), If yes, please provide details	

DECLARATION

I, [Name of stakeholder], currently residing at [insert address], hereby declare and state as follows:

1. I am entitled to receive a sum of Rs.... (Rupees ... only) from the Corporate Voluntary Liquidation Account, as presented above.
2. In respect of the said sum or any part thereof, neither I nor any person, by my order, to my knowledge or belief, for my use, has received any manner of satisfaction or security whatsoever, save and except the following:
3. I undertake to refund the entire amount with interest as decided by the Board, in case the Board finds that I am not entitled to this amount.
4. I authorise the Board to initiate appropriate legal action against me if my claim is found false at any time.

Date:
Place:

(Signature of the Stakeholder)

VERIFICATION

I, [Name] the stakeholder hereinabove, do hereby verify that the contents of this Form are true and correct to my knowledge and belief and no material fact has been concealed therefrom.

Verified at ... on this day of, 20... (Signature of the Stakeholder)

[Note: In the case of a company or limited liability partnership, the declaration and verification shall be made by the director/manager/secretary/designated partner and in the case of other entities, an officer authorised for the purpose by the entity].

6. In the principal regulations, in Schedule II,-

- (a) in 'DISTRIBUTIONS REGISTER', under 'Instructions' in serial number 4, for the words "Public Account of India", the words "Corporate Voluntary Liquidation Account" shall be substituted.;
- (b) in 'REGISTER OF UNCLAIMED DIVIDENDS AND UNDISTRIBUTED ASSETS DEPOSITED', for the word "ASSETS", the word "PROCEEDS" shall be substituted.

DR. NAVRANG SAINI, Whole Time Member

[ADVT.-III/4/Exty./412/19]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017 were published vide notification No. IBBI/2016-17/GN/REG010 dated 31st March, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 130 on 31st March, 2017 and were subsequently amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2019 published vide notification No. IBBI/2019-20/GN/REG039 dated 15th January, 2019 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 12 on 15th January, 2019.